

फरमाई नं- 53/2019

<p>तारीख हुकम</p>	<p>T.A. हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गोस्वामी/3 मुद्रांकित कर</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---

11/9/2020

कोरोना के कारण परामर्श विपत (कॉमो) डेकार्ड प्रो  
ड्यूस / कर्कित मृत्यु उत्पीड़न कृपया उपास्की /  
परामर्श का अवलोकन किया गया / उपास्की कोर्ट  
(चिकित्सा के माध्यम से विद्यमान प्रकरण  
गोस्वामी कानक मुल्गी देवी मुकदमा 122/2019 के  
विषय में किया गया / उपास्की कोर्ट  
चिकित्सा का समाप्त हो जाने से इस समाप्त  
उत्पीड़न का कोई महत्व नहीं रहा है।  
उत्पीड़न इतना प्रचुर उत्पीड़न का समाप्त  
रहा कि किया जाता है। विशेष उत्पीड़न  
कोर्ट कोर्ट चिकित्सा को (कृपया उत्पीड़न  
परामर्श कोर्ट मुद्रांकित कर के अंकित हो /  
कोर्ट के माध्यम से मुद्रांकित किया गया



अति न्यायाधीश कलकत्ता

